दिनांक २-८-१९९७ को ३ बजे अपराह्न में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय में हुई बोर्ड की ३४४वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :-

सदस्यों की उपस्थिति -

(१) श्री महेन्द्र नारायण यादव,
माननीय राज्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग - अध्यक्ष

(२) श्री धर्मवीर सिंह - - सदस्य

(३) श्री प्राण मोहन ठाकुर, उप सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य

(४) श्री तारक नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य

विशेष आमंत्रण पर उपस्थित -

(१) श्री जटाधर मिश्र, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी।

- कार्यवाही -

दिनांक २-८-९७ को बोर्ड मुख्यालय में आयोजित ३४४वीं साधारण बैठक की अध्यक्षता करने हेतु बोर्ड के माननीय सदस्य, श्री धर्मवीर सिंह ने श्री महेन्द्र नारायण यादव, माननीय राज्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, सम्प्रति बोर्ड के माननीय सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जिस प्रस्ताव की सम्पुष्टि बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पदेन सदस्य तथा उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा प्राधिकृत सदस्य एवं सरकार के उप सचिव, श्री प्राण मोहन ठाकुर द्वारा की गई।

(१) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करना - सम्पुष्टि की गई।

(२) गत बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा - विगत बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई -

(१) कार्यान्वयन प्रतिवेदन की कंडिका-६ के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम के कार्यालय में अकार्यशील कार एवं जीप की निलामी हेतु जिस प्रक्रिया से जो कार्रवाई की गई है उसी के अनुसार बोर्ड में अकार्यशील कार एवं जीप की निलामी हेतु यथावांछित कार्रवाई की जाए।

महेन्द्र ना० या० 7/8/97

2/8/97

-२

इस निमित्त उक्त कार्यालय से तत्संबंधी आवश्यक कागजात वहाँ के प्रबन्ध निदेशक से व्यक्तिगत ~~सम्बन्ध~~ सम्पर्क स्थापित कर तुरत प्राप्त किया जाए ।

(२) बोर्ड का प्रचार वान जो अकार्यशील होकर बोर्ड मुख्यालय में वर्षों से पड़ा हुआ है उसमें तुरत आवश्यकतानुसार नया टायर ट्यूब एवं बैट्री का क्रय कर उसे अधिकृत विक्रेता मैसर्स तिवारी वैचर एण्ड कम्पनी, पटना के पास भेजकर उसकी मरम्मति के लिए अनुमानित व्यय राशि प्राप्त कर तुरत कार्यशील (चालू) किया जाए ।

(३) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय में मुख्य भवन को किराया पर देने की स्वीकृति देना -	स्थगित । परन्तु इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इस पहलु की जाँच करते हुए कि कार्यालय भवन के निचले सतह में स्थित खादी भवन, पटना द्वारा जितने स्थान (क्षेत्रफल) का उपयोग खादी भवन के लिए किया जा रहा है तथा बोर्ड मुख्यालय के प्रथम एवं द्वितीय तल्ला में जितने स्थान का उपयोग बोर्ड के विभिन्न प्रशाखाओं के लिए किया जा रहा है उसमें से कितने क्षेत्रफल का स्थान किराया पर देने हेतु आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन बोर्ड के आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करें ।
(४) खादी ग्रामोद्योग कमीशन, मुम्बई को वर्ष १९९७-९८ के लिए भेजे जाने वाले विकासात्मक बजट की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

(५) बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय केन्द्रों के कर्मचारियों को जिनका प्रस्थापन खर्च केन्द्र के लाभ हानि खाता से वहन किया जाता है, को पूर्व से भुगतान किए जा रहे ३४(चौंतीस) प्रतिशत प्रतिमाह महँगाई भत्ता के स्थान पर कुल ११४(एक सौ चौदह)प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दिनांक १-४-९७ से भुगतान करने के सम्बन्ध में -	इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के विभागीय केन्द्रों के कर्मचारियों को दिनांक १-४-९७ के प्रभाव से कुल ११४(एक सौ चौदह) प्रतिशत प्रतिमाह की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात किया जायेगा।
(६) बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या २८२१ दिनांक १६-५-९७ के अनुसार बोर्ड के ऐसे सेवकों को जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, दिनांक १-१-९७ के प्रभाव से संशोधित दर से महँगाई भत्ता का भुगतान करने की स्वीकृति देना -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई परन्तु स्वीकृत राशि का भुगतान स्थापना बजट के अनुरूप धनराशि प्राप्त होने पर किया जायेगा।
(७) बोर्ड द्वारा संचालित बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग भवन एवं बोर्ड के विभागीय सह उत्पादन केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(८) मूल्य ह्रास कमिटी द्वारा केन्द्रीय वस्त्रागार, पटना में नुकशान सूती माल नगवार एवं गजवार पर घटाये गये दाम की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दाम घटाने से संबंधित प्रतिवेदन को देखकर स्वत: सन्तुष्ट हो लें।
(९) श्री जटाधर मिश्र, अंकेक्षण पदाधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना की सेवा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर दिनांक २३-९-९७ से एक वर्ष हेतु विस्तारित करने की स्वीकृति देना -	इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के वर्तमान वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी श्री जटाधर मिश्र की सेवा अवधि का विस्तार दिनांक २३-९-९७ से दिनांक २२-९-९९ तक कुल दो वर्षों के लिए करने हेतु यथावांछित कार्रवाई की जाये।

- ४

ह० 7/8/97

(१०) बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय सम्वर्ग के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में स्वीकृति देना-

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड में गठित स्थापना समिति का निर्णय प्राप्त करते हुए तदनुसार आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें। परन्तु बोर्ड के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित वित्तीय लाभ राज्य सरकार से तदनुसार धनराशि प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

(११) बोर्ड के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों को बोर्ड के हित में कार्य करने के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति के संबंध में-

संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

(१२) केन्द्रीय वस्त्रागार, पटना के लेखा एवं भंडार की जांच हेतु सेवा-निवृत्त अंकेक्षकों में से दो कुशल अंकेक्षकों को मानदेय पर एक माह के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति देना -

संलेख में अंकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड में अंकेक्षण से संबंधित लंबित कार्यों एवं तदनुसार लेखा संधारण से संबंधित लंबित कार्यों के निष्पादन हेतु अधिक से अधिक बोर्ड के कुल ६(छ:) सेवा-निवृत्त कुशल अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवायें कुल २,५००/- (दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह मानदेय की राशि पर अधिक से अधिक ६(छ:) माह के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति से प्राप्त की जाए।

बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी अपने स्तर से ऐसे सेवा-निवृत्त पदाधिकारी का चयन करते हुए उसपर भी अंतिम रूप से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का आदेश प्राप्त कर लें।

(१३) वर्ष १९८८-८९ में जिला कार्यालय, हजारीबाग में सुलभ शौचालय बनाने के लिए नगरपालिका, हजारीबाग से ली गई ऋण एवं सूद की राशि भुगतान के सम्बन्ध में -

संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

- ५

(१४) बोर्ड के कार्यालय व्यवहार हेतु एक नया स्टाफ कार खरीदने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -

सलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए निर्णय लिया गया कि बोर्ड के कार्यालय व्यवहार हेतु एक ऐम्बेसडर डिजल कार अथवा टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित सुमो गाड़ी का बोर्ड में उपलब्ध राशि से क्रय किया जाए।

(१५) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्यान्य विषय -

(क) स्वतंत्रता दिवस की ५०वीं वर्षगांठ के शुभावसर पर बोर्ड के कार्यहित में बोर्ड कार्यालय का मुख्य भवन के सभी तल्लों का पेंटिंग।पोचाड़ा तथा साधारण मरम्मति का कार्य १५(पन्द्रह) अगस्त, १९९७ के पूर्व कराने के सम्बन्ध में -

बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(ख) उद्योग विभाग के उप सचिव सह बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम, पटना के प्रबन्ध निदेशक के अनुरोध पर निगम के बिहार राज्य में तथा नई-दिल्ली स्थित इम्पोरियम के लिए मधु की आपूर्ति बोर्ड कार्यालय से करने की स्वीकृति के संबंध में -

निर्णय लिया गया कि बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से यथावांछित विचार-विमर्श कर बोर्ड से आपूर्ति किए जाने वाले मधु का दर निर्धारित करते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि बोर्ड एवं निगम को किसी प्रकार से कोई घाटा नहीं हो।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बोर्ड बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अध्यक्ष